

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक— 30/08/2018

एसओ0सं0-IV/एम¹-1-34/2017-2969 / रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (निबंधन एवं अन्य सम्बंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-69 की उप धारा (1) खण्ड (क) एवं (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ: - (1) यह नियमावली बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2018 कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

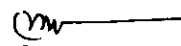
(3) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-19 के उप नियम (xv) के बाद उप नियम (xvi) के रूप में निम्न प्रकार से जोड़ा जायेगा: -

“19.(xvi)- यदि कोई दस्तावेज ऐसे भू-सम्पदा परियोजना की सम्पत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हो, जिनका भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अधीन भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार से निबंधन अनिवार्य हो किन्तु जो इस प्राधिकरण से पंजीकृत न हो।

परन्तु भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन गठित बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के प्रभावी होने के पूर्व निबंधित प्लेटों/अपार्टमेंट के पुनः बिक्री पर यह प्रभावी नहीं होगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

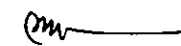

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

एस.ओ.सं0-IV/एम¹-1-34/2017-2969 /, पटना, दिनांक— 30/08/2018

प्रतिलिपि, उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

Government of Bihar
Department of Prohibition, Excise & Registration
(Registration)

Notification

Patna, Dated: 30/08/2018

S.O. NO.-IV/M¹- 1-34/2017- 2969 / In exercise of the power conferred by clause (a) and (aa) of sub Section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (as amended by Registration and other related laws (amendment) Act, 2001 the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar makes following Rules: -

1. Short title, extent and commencement: - (1) These rules may be called the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

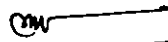
(3) It shall come into force with effect from the date of issue of notification.

2. The following shall be added after sub-rule (xv) as sub-rule (xvi) of Rule-19 of the Bihar Registration Rules, 2008: -

"19 (xvi)- If any document related to transfer of property of such real estate project, registration of which is compulsory with Real Estate Regulatory Authority Bihar, under the provision of Real Estate (Regulation and development) Act, 2016 and Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 but which is not registered with this Authority.

Provided that, it will have no effect on re-registration of Flats/Apartments registered before enforcement of Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 constituted under Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016."

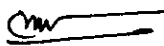
By order of the Governor of Bihar.


(Amir Subhani)

Principal Secretary to Government.

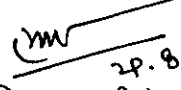
ज्ञापक- IV/एम¹-1-34/2017- 2969 /, पटना, दिनांक- 30/08/2018

प्रतिलिपि, वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।


28.8.18
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- IV/एम¹-1-34/2017- 2969 /, पटना, दिनांक- 30/08/2018

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.8.18

(आभिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- IV/एम¹-1-34/2017- 2969 /, पटना, दिनांक- 30/08/2018

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/कोषागार पदाधिकारी (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।



(आभिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।